


नख हुक्म

धीरचंद ॥ ५ बाबरसिंह नौरा
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अपील संख्या 23/2015

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

11/07/25

अधिवक्ता उमचपल उप। प्रस्ता में अधिवक्ता
अपीलॉट को रिपों. संख्या 01 के कायम मुकाम की
कार्यवाही क्रिये जाने संव रिपों संख्या 02 व 03 के
पेजीटल नोटिस पेशा क्रिये जाने बाबत ऊर् अक्सर
दिये जाने के बावजूद अधिवक्ता अपीलॉट द्वारा
इस बाबत क्रौर कार्यवाही नहीं की गई है अधिवक्ता
अपीलॉट का उक्त हुक्म न्यायालय के आदेशों की
अवहेलना परिलक्षित होता है अतः न्यायालय के
आदेशों की निरन्तर अवहेलना क्रिये जाने के फल-
स्वरूप उक्त पत्रावली अदम तदमील में धारिष
की गयी है पत्रावली फौसल शुमार लेकर बाद
आवश्यक कार्यवाही दायिल दृक्कर ही


राजेश अपील प्राधिकारी
पाली